अनुग्रह राशि
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या- 700/सी0ई0ओ0-3-114/3-2007, लखनऊः दिनांकः 8 मई, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सभी सामान्य एवं उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपका ध्यान सलग्न शासनादेश संख्या-249/61-2019-114/3-2007(नि-3), दिनांक 7 मई, 2019 जो आपको सम्बोधित एवं अन्य सम्बन्धितों को पृष्ठांकित है, की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा आगामी होने वाले सभी लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सामान्य एवं उप निर्वाचनों में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत/स्थायी रूप से विकलांग हो गये कार्मिको को दुर्घटना अनुग्रह राशि से आच्छादित किया गया है। स्थायी अपंगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान सुरक्षा बलों एवं मतदान कार्मिकों की बीमारी/दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा पर हुए व्यय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1041/सी0ई0ओ0-1-142/1-2008-टी0सी0-II, दिनांक 18.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

तद्नुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया उल्लिखित शासनादेश के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा आगामी होने वाले सभी लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सामान्य एवं उप निर्वाचनों में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत/स्थायी रूप से विकलांग हो गये कार्मिकों को अनुग्रह राशि के संदर्भ में धनराशि का उल्लेख करते हुए समस्त साक्ष्यों यथा प्रत्यक्ष तथा पारिस्थितिक (Both direct and Circumstantial) एवं समस्त अभिलेखों (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ0आई0आर0 की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्थायी विकलांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आदि) सहित स्पष्ट संस्तुति करते हुए भेजने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।